

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 4384 /22-2, मुरादाबाद, जनवरी- 07, 2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा ग्राम रौरा कलां तहसील मिलक के गाटा संख्या-403 बिलासपुर-मिलक (एम0डी0आर0 नम्बर-33) कि0मी0 31.709 की दांयी पटरी पर पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0589 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर की पत्र संख्या- 1422/14-1, दिनांक 31-12-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा ग्राम रौरा कलां तहसील मिलक के गाटा संख्या-403 बिलासपुर-मिलक (एम0डी0आर0 नम्बर-33) कि0मी0 31.709 की दांयी पटरी पर पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0589 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
संलग्नक- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग-3

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या -
इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
(हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में
संलग्न करें।

नहीं

15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई -
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
हैं।

हां

16. प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ
विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय निर्देशक रामपुर
द्वारा दी गयी आज्ञा से
सहमत व्यक्त करते हुए
प्रस्ताव संस्तुति सहित
प्रेषित हैं।

तिथि.....
स्थान.....

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर